

प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
केंद्रीय माल और सेवा कर,
अहमदाबाद क्षेत्र
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग,
अम्बावाडी, अहमदाबाद- ३८००१५



Office of the
Principal Chief Commissioner
Central Goods & Services Tax,
Ahmedabad Zone,
GST Bhavan, Revenue Marg,
Ambawadi, Ahmedabad- 380015

Telephone: 079-26302133/6499

Email: ccu-cexamd@nic.in

ESTABLISHMENT ORDER NO.85/2024

स्थापना आदेश सं.85/2024

DATE:05-11-2024

दिनांक:05.11.2024

मुक्त हिंदी अनुवाद

In pursuance of the nomination acceptance letter issued by the General Manager, International Financial Services Centres Authority, Government of India vide eFile No. 15256/2024/EPA dated 08.10.2024, the following officer in the grade of Superintendent is hereby transferred and posted to IFSCA, Gandhinagar on deputation basis for a period of 3 years from the date of joining or until further orders, whichever is earlier.

महाप्रबंधक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा ई-फाइल संख्या 15256/2024/ईपीए दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जारी नामांकन स्वीकृति पत्र के अनुसरण में, अधीक्षक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी को आईएफएससीए, गांधीनगर में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्थानांतरित और तैनात किया जाता है।

Sr. No. (क्र. सं.)	Name of the officer (Shri) अधिकारी का नाम (श्री)	Designation (पदनाम)	Present Posting (From) (वर्तमान तैनाती से)	To (को)
1.	Ashok G. Nair अशोक जी. नायर	Superintendent; अधीक्षक	DGoV, Ahmedabad (on rotational transfer) डीजीओवी, अहमदाबाद (रोटेशनल ट्रांसफर पर)	IFSCA, Gandhinagar (on deputation basis) आईएफएससीए, गांधीनगर (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)

2. The aforesaid officer may be relieved immediately with further direction to report to IFSCA. His relieving and joining may please be intimated to this office.

उपरोक्त अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए तथा आईएफएससीए को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाए। कृपया उनके कार्यमुक्त होने तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

3. The aforesaid officer may note that he is deemed to have been relieved on the date of expiry of the deputation period unless the competent authority has with requisite approval, extended the period of deputation in writing, prior to the date of its expiry.

उपरोक्त अधिकारी यह नोट करें कि उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर कार्यमुक्त माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने अपेक्षित अनुमोदन के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि को समाप्ति की तिथि से पूर्व लिखित रूप में नहीं बढ़ा दिया हो।

4. This issues with the approval of the Pr. Chief Commissioner of CGST, Ahmedabad Zone.

यह सीजीएसटी अहमदाबाद क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signed by Vishal Malani

(VISHAL MALANI)

Date: 05-11-2024 18:49:34

ADDITIONAL COMMISSIONER

फा.सं.जीसीसीओ/II/39/OTH/34/2021-ADMN

दिनांक: 05-11-2024

Copy to/(प्रति प्रेषित):

- i. The Additional Commissioner, DGoV, AZU, Ahmedabad/ अपर आयुक्त, डीजीओवी, एजेड्यू, अहमदाबाद |
- ii. The General Manager, IFSCA, Gandhinagar/ महाप्रबंधक, आईएफएससीए, गांधीनगर |
- iii. The PAO, Ahmedabad/ पीएओ, अहमदाबाद |
- iv. The CAO, CGST Ahmedabad South/सीएओ, अहमदाबाद |
- v. The Superintendent (Systems), CGST Ahmedabad Zone (with a request to upload the same on the departmental website)/. अधीक्षक (सिस्टम), सीजीएसटी अहमदाबाद जोन (इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए) |
- vi. Hindi Version follows/ हिंदी संस्करण इस प्रकार है |
- vii. Individual/ Guard File/ व्यक्तिगत/गार्ड फाइल |